

# उत्तराखण्ड जल संस्थान

## जल/सीवर संयोजन हेतु आवेदन पत्र (आवेदक द्वारा भरा जाना है)

आवेदन शुल्क रु0 25.00

पासपोर्ट साईज का  
नवीनतम फोटोग्राफ  
चिपकायें।

नोट— आवेदक कृपया कम से 1 से कम से 14 तक की सभी प्रविष्टियां पूर्ण एवं स्पष्ट भर कर आवेदन पत्र जमा करें अन्यथा आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता है।

मैं/हम, जल/सीवर संयोजन के लिये आवेदन करता हूँ/करती हूँ/करते हैं, आवश्यक विवरण जो सत्यनिष्ठ हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है— (अपेक्षित पर  का निशान लगायें)

- |                                                        |                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> नया जल संयोजन                 | <input type="checkbox"/> नया सीवर संयोजन                 |
| <input type="checkbox"/> पूर्व जल संयोजन का नियमितिकरण | <input type="checkbox"/> पूर्व सीवर संयोजन का नियमितिकरण |
| <input type="checkbox"/> द्वितीय जल संयोजन             | <input type="checkbox"/> द्वितीय सीवर संयोजन             |

- 1— आवेदन कर्ता का नाम—श्री/ श्रीमति/ कु0.....
- 2— पिता/पति का नाम श्री.....
- 3— व्यवसाय.....
- 4— उपभोक्ता की श्रेणी—
- |                                         |                                                      |                                      |                                    |                                         |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> सामान्य        | <input type="checkbox"/> अनु0जाति                    | <input type="checkbox"/> अनु0जन0जाति | <input type="checkbox"/> निराश्रित | <input type="checkbox"/> भूमिहीन श्रमिक |
| <input type="checkbox"/> सैनिक विधवायें | <input type="checkbox"/> विभाग के अधिकारी व कर्मचारी |                                      |                                    |                                         |
- 5— सम्पति का विवरण जिस पर जल/सीवर संयोजन की आवश्यकता है/विद्यमान है—(नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत अथवा ग्राम पंचायत में दर्ज के अनुसार)
- .....
- .....

जिला..... प्रदेश..... पिन कोड.....

6— जहां संयोजन की आवश्यकता है, की पहचान हेतु विशेष चिन्हित स्थान (लैंड मार्क) .....

7— वर्तमान / स्थाई पत्र व्यवहार का पता.....

.....

दूरभाष से0 ..... मोबाइल नं0..... ई—मेल.....

8— भू—खण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) .....

9— कवर्ड एरिया प्रस्तावित / निर्मित (वर्गमीटर में) .....

10— जल/सीवर संयोजन का प्रकार

- |                                |                                 |                                   |                                      |                                    |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> घरेलू | <input type="checkbox"/> अघरेलू | <input type="checkbox"/> औद्योगिक | <input type="checkbox"/> भवन निर्माण | <input type="checkbox"/> व्यापारिक |
|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|

11— अ. जल संयोजन का साईज –  15 एमएम  20 एमएम  25 एमएम  32एमएम

40 एमएम  50 एमएम एवं अधिक

ब. सीवर संयोजन का साईज—  100 एमएम  200एमएम  250एमएम  300एमएम व अधिक

12— (क) आवेदक जिस भवन पर संयोजन चाहता है वह उसका

- |                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> भवन स्वामी है | <input type="checkbox"/> किरायेदार / अध्यासी है |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

(ख) यदि, आवेदक परिसर का स्वामी नहीं है, तो परिसर के स्वामी का विवरण—

नाम ..... पिता का नाम.....  
पता.....

13— रेन वाटर हार्डस्टिंग की व्यवस्था की गई है /अथवा नहीं।

यदि हां तो टैंक का साईज किलोमीटर में .....

14— पंजीकृत नलकार के सम्बन्ध में सूचना

क. उपभोक्ता की सहमति	ख. पंजीकृत नलकार की सहमति
मैं ..... विभाग में पंजीकृत नलकार मैसर्स ..... से जल/ सीवर संयोजन कार्य कराने का इच्छुक हूँ।  आवेदक के हस्ताक्षर	मैं श्री / श्रीमति ..... के जल / सीवर संयोजन कार्य विभागीय मानकों के अनुरूप करुंगा।  पंजीकृत के हस्ताक्षर (मुहर सहित)

#### आवेदन पत्र के सम्बन्ध में वचनबद्धता:-

- 1— भवन / सम्पति जिस पर जल/सीवर संयोजन लेना है, के स्वामित्व सम्बन्धी स्वप्रमाणित अभिलेख संलग्न हैं।
- 2— जल/सीवर संयोजन जिस सम्पति हेतु आवेदित है उसी सम्पति पर स्थापित करने के लिये वचनबद्ध हूँ/हैं।
- 3— मैं/हम, नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र में दी गई सभी शर्तों का पालन करने के लिये वचनबद्ध हूँ/हैं।
- 4— मैं/हम, यदि इस परिसर में विभाग की कोई भी देनदारी है, तो उसको देने के लिये वचनबद्ध हूँ/हैं।
- 5— मैं/हम, विद्यमान जल/सीवर संयोजन जो इस परिसर के पूर्व स्वामी/ अध्यासी का है, के देय यदि कोई हों तो उसके भुगतान हेतु वचनबद्ध हूँ/हैं।
- 6— मैं/हम रोड कटिंग का भुगतान सम्बन्धित विभाग को कर अनुमति प्रमाण पत्र विभाग में प्रस्तुत करने के लिये वचनबद्ध हूँ/हैं।
- 7— मैं/हम, जल/सीवर संयोजन हेतु पाईप/सीवर लाईन किसी अन्य की भूमि से बिना उसकी लिखित अनुमति के नहीं ले जाऊंगा/ जायेंगे।
- 8— मैं/हम उत्तरांचल (जल सम्परण सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 के नियम/आदेश/निर्देश मानने के लिये बाध्य हूँ/हैं।
- 9— मैं/हम घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि उत्तराखण्ड जल संस्थान से मेरे/हमारे द्वारा जल/सीवर संयोजन हेतु जो उक्त सूचनायें/जानकारी उपलब्ध कराई गयी हैं, वह मेरे/हमारे संज्ञान अनुसार सही हैं।

दिनांक.....

आवेदक का नाम.....

स्थान.....

आवेदक के हस्ताक्षर.....

#### आवेदन पत्र प्राप्ति

पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय का नाम एवं पता .....

1. आवेदक का नाम एवं पता .....
2. पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में — आवेदन सं० ..... आवेदन प्राप्ति का दिनांक.....  
...
3. सेवा का नाम जिसके लिए आवेदन किया गया है .....
4. उन दस्तावेजों का विवरण जो सेवा प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं किन्तु आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये गये हैं....
5. निश्चित की गई समय—सीमा की अन्तिम तिथि .....

स्थान ..... दिनांक .....

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

पदनाम (मुहर सहित)

(नोट— आवेदन के साथ समस्त दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में उपरोक्त बिन्दु -5 में उल्लिखित अन्तिम तिथि अंकित नहीं की जायेगी)

## आवेदन पत्र को भरे जाने के लिये आवश्यक निर्देश एवं आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्रों का विवरण

- 1— आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां देवनागिरी लिपि (हिन्दी में) साफ—साफ भरे जायें।
- 2— पासपोर्ट साईज के नवीनतम दो फोटोग्राफ।
- 3— आवेदक की पहचान हेतु, निम्न प्रमाणों में से किसी एक की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
  - i. वोटर आई—डी कार्ड।
  - ii. पैन कार्ड।
  - iii. विशिष्ट पहचान पत्र।
  - iv. राशन कार्ड फाटो सहित।
  - v. ड्राईविंग लाईसेंस।
  - vi. बैंक पासबुक फोटो सहित।
  - vii. पासपोर्ट।
  - viii. सरकारी / अर्द्ध सरकारी कार्यालयों द्वारा जारी आई—डी कार्ड।
- 4— सम्बन्धित विकास प्राधिकरण / स्थानीय निकाय / ग्राम सभा द्वारा स्वीकृत मानचित्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
- 5— ₹0 100.00 का नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर।
- 6— जहां पर संयोजन दिया जाना है, उस स्थान के स्वामित्व / अध्यासी हेतु निम्न में से किसी एक प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
  - i. विक्रय पत्र।
  - ii. लीज पत्र।
  - iii. स्वामित्व प्रमाण पत्र (फर्द)।
  - iv. जमीन का पट्टा
  - v. वोटर आई—डी कार्ड।
  - vi. नगर निगम / नगर पालिका द्वारा निर्गत भवन का मूल्यांकन प्रमाणपत्र।
  - vii. किरायेदार अनुबन्ध।
  - viii. राशनकार्ड।
  - ix. बिजली का बिल।
  - x. राष्ट्रीयकृत बैंक पासबुक
  - xi. ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत स्वामित्व / अध्यासी प्रमाणपत्र।
- 7— रोड कटिंग की स्थिति में आवेदक को सम्बन्धित विभाग के अनापत्ति प्रमाणपत्र की छायाप्रति विभागीय कार्यदेश / संयोजन से पूर्व जमा करानी होगी।

नोट— 1. आवेदक द्वारा गलत प्रमाणपत्र जमा करने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। संयोजन का परान्त यदि उपभोक्ता द्वारा आवेदन के समय जमा किये गये प्रमाणपत्र गलत पाये जाते हैं तो ₹ 1000.00 का जुर्माना या संयोजन काटा जा सकता है।

2. जल/सीवर संयोजन किसी भी स्थिति में स्वामित्व का प्रमाण नहीं है।